

बिहार विधान सभा सचिवालय


अधिसूचना

पटना, दिनांक- 18 जनवरी, 2019 ई० ।

संख्या-1स्था०-165/2018- 154 / वि०स० । बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तों) नियमावली, 2018 की कडिका-21 के अनुशरण में सॉतवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24.05.2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य पद संरचना में सहायक अवर निरीक्षक को स्वीकृत वेतन स्तर-5 एवं सिपाही को स्वीकृत वेतन स्तर-3 क्रमशः सहायक अवर मार्शल एवं सुरक्षा प्रहरी, बिहार विधान सभा सचिवालय के लिए लागू किया जाता है ।

एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना / आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-165/2018 155 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 जनवरी, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-165/2018 155 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 जनवरी, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-165/2018 155 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 जनवरी, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि:- सभी निदेशक / उप सचिव / मुख्य प्रतिवेदक / अवर सचिवगण / सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण / लेखा शाखा / श्रव्य दृश्य ईकाई एवं स्थापन शाखा, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-165/2018 155 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 जनवरी, 2019 ई० ।
प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं आप्त सचिव, सचिबीय कार्यालय को क्रमशः
माननीय अध्यक्ष एवं सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


18-1-19
(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-165/2018 155 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 जनवरी, 2019 ई० ।
प्रतिलिपि:- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी
सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 10 (दस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी
जाय ।


18-1-19
(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

18/01/19